

बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड

(बिहार सरकार का उपक्रम)

कार्यालय आदेश

बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लि० से संबंधित सभी सेटली को निदेश दिया जाता है कि अगर कोई BSMC के डिलर INVOICE लेकर ट्रक, घाट पर वे जाते हैं, तो उन्हें प्राथमिकता के आधार पर बालू की आपूर्ति उसी दिन की जाय। ऐसा नहीं करने पर आपके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जवाबदेह होंगे।

ह०/—

महाप्रबंधक
(वित्त एवं ऑपरेशन)
पटना, दिनांक—

ज्ञापांक— बी०एस०एम०सी—

प्रतिलिपि: सभी संबंधित समाहर्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—

महाप्रबंधक
(वित्त एवं ऑपरेशन)
पटना, दिनांक—

ज्ञापांक— बी०एस०एम०सी—

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, सह—प्रबंध—निदेशक बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/—

महाप्रबंधक
(वित्त एवं ऑपरेशन)
पटना, दिनांक—

ज्ञापांक— बी०एस०एम०सी—

प्रतिलिपि: मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/—

महाप्रबंधक
(वित्त एवं ऑपरेशन)
पटना, दिनांक—

ज्ञापांक— बी०एस०एम०सी— ०२/लेखा/१५/१-२९२

प्रतिलिपि: सभी डीलर को निदेश है कि उपरोक्त कार्यालय आदेश की अवमानना अगर सेटली के द्वारा की जाती है तो इसकी सूचना कन्ट्रोल रूम—दूरभाष सं०—0612 2215350, 2215351, 2215360 पर सूचित करेंगे।

18/5/18
महाप्रबंधक

(वित्त एवं ऑपरेशन)